<u>प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2025</u>

फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गया प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण-</u>

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादी के माता का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अनुचित लाभ लिया गया है जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

गया प्रसाद यादव पुत्र स्व0 रघुवंश यादव निवासी झरना टोला, टीचर कालोनी थाना एम्स जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0सं0 474/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना एम्स जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी की टीम-</u>

1. उ0नि0 अतुल कुमार तिवारी, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
2. का0 मुकेश कन्नौजिया, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
3. का0 संतोष यादव, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर